न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :– श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 176/2025

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जयकिशन पुत्र भारमलराम 2. राणाराम पुत्र भारमलराम 3. मांगीलाल पुत्र भारमलराम 4. भीखी पुत्री भारमलराम 5. मूलीदेवी पत्नी भारमलराम 6. चनणी पत्नी धीमा 7. बाबूराम पुत्र धीमा 8. पेमा पुत्र वगता 9. वभूता पुत्र वगता जातियान विश्नोई निवासीगण रिडमलनगर, पीपलीबेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. गंगाविशन पुत्र फगलु 2. बाबुलाल पुत्र फगलु 3. भागीरथराम पुत्र फगलु 4. मोहनलाल पुत्र फगलु जातियान विश्नोई निवासीगण रिडमलनगर, पीपलीबेरी तहसील सेड़व जिला बाड़मेर 5. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता
वादीगण अधिवक्ता– श्री बाबूलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक:– 27/03/2026

वादीगण जयकिशन पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई निवासी रिडमलनगर, पीपलीबेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत राजस्व का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "सरहद मौजा रिडमलनगर पीपलीबेरी, पटवार हल्का बामडला, भू. अ.नि. क्षेत्र बामडला, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 312 रकबा 5.6575 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 654/522 रकबा 11.4364 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम भूमि आयी हुई है। गिरदावरी भी वादीगण के नाम से तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी [illegible] के खातेदारी, कब्जाकाश्त की आयी हुई है, जिस पर पीढियो से, वर्षों से [illegible] शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जो नक्शे में भी किश्तवार तरमीमशुदा है। जिसमें वादीगण की रहवासीय पक्की ढाणी, पानी का टांका, बेरा इत्यादि स्थित है। लेकिन अभी भूमि की कीमतों में वृद्धि होनें से वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 येन–केन–प्रकारेण जबरन हड़प कर वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं, जिससे ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण का अवैधानिक मनमाना व स्वेच्छाचारी है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण के खातेदारी, कब्जाकाश्त की भूमि पर कच्चा पक्का निर्माण कर बलपूर्वक वादीगण को बेदखल करना चाहते है। आज से कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी खेत में कब्जा करना शुरू किया व पक्का निर्माण शुरू किया तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया, लेकिन प्रतिवादीगण जोरामर्जी से वादीगण के खेत में कब्जा करके निर्माण किया, जिसकी शिकायत वादीगण ने पुलिस थाना सेड़वा को की पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर वादीगण ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के प्रकरण सं. 281/2023 निर्णय दिनांक 12.05.2025 व 18.06.2025 की पालना में तहसीलदार सेड़वा के आदेश कमांक भू.अ./2025/837 की पालना में दिनांक 18.06.2025 को ग्राम पीपली बेरी (रीडमलनगर पीपली बेरी) के खसरा नम्बर 312 रकबा 5.6575 हैक्टर, खसरा नम्बर 654/522 रकबा 11.4364 हैक्टेयर की हल्का पटवारी बामडला, आर. आई बामडला व पुलिस जाब्ता पुलिस थाना सेड़वा के साथ मौके पर आये, उक्त वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 312, 654/522 की पैमाईश लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम कमांक/2209 दिनांक 02.06.2025 के अनुसार की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार है– ग्राम पीपली बेरी (रिड़मलनगर पीपली बेरी) के खसरा नम्बर 654/522 रकबा 11–4364 हैक्टेयर के बिन्दु नाप संख्या A से B 06 गट्ठा, बिन्दु संख्या B से C 22 गट्ठा, बिन्दु संख्या C से D 32 गट्ठा, बिन्दु संख्या D से E 47 गट्ठा, बिन्दु संख्या E से F 48 गट्ठा, बिन्दु संख्या F से G 21 गट्ठा, बिन्दु संख्या G से H 14 गट्ठा, बिन्दु संख्या H से I 42 गट्ठा, बिन्दु संख्या I से A 47 गट्ठा नाप कर निशानात कायम कर [illegible] खसरा नम्बर 304/48 रकबा 7–6081

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

हैक्टेयर के बिन्दु संख्या J से K 33 गट्ठा, बिन्दु संख्या K से L 52 गट्ठा, बिन्दु संख्या L से M 38 गट्ठा, बिन्दु संख्या M से N 26 गट्ठा, बिन्दु संख्या N से O 56 गट्ठा, बिन्दु संख्या O से P 36 गट्ठा, बिन्दु संख्या P से S 52 गट्ठा, बिन्दु संख्या S से R 46 गट्ठा, बिन्दु संख्या R से S 42 गट्ठा, बिन्दु संख्या S से T 33 गट्ठा, बिन्दु संख्या T से A 22 गट्ठा व खसरा नम्बर 312 रकबा 5–6575 हैक्टेयर के बिन्दु संख्या A से B 22 गट्ठा, बिन्दु संख्या B से C 11 गट्ठा, बिन्दु संख्या C से D 15 गट्ठा, बिन्दु संख्या D से E 06 गट्ठा, बिन्दु संख्या E से F 35 गट्ठा, बिन्दु संख्या F से G 30 गट्ठा, बिन्दु संख्या G से H 25 गट्ठा, बिन्दु संख्या H से I 37 गट्ठा, बिन्दु संख्या I से J 47 गट्ठा, बिन्दु संख्या J से K 27 गट्ठा, बिन्दु संख्या K से L 30 गट्ठा, बिन्दु संख्या L से M 22 गट्ठा, बिन्दु संख्या M से N 36 गट्ठा, बिन्दु संख्या N से O 36 गट्ठा, बिन्दु संख्या 0 से P 36 गट्ठा, बिन्दु संख्या P से S 43 गट्ठा, बिन्दु संख्या S से R 53 गट्ठा, बिन्दु संख्या R से S 44 गट्ठा, बिन्दु संख्या S से T 12 गट्ठा, बिन्दु संख्या T से U 22 गट्ठा, बिन्दु संख्या U से V 32 गट्ठा, बिन्दु संख्या V से H 22 गट्ठा पैमाईश कर समस्त बिन्दुओ पर पक्के नेखम स्थापित किये गए। खसरा नम्बर 654 / 522 रकबा 11.4364 जिसकी बिन्दु संख्या H से T तक समस्त पक्के नेखम स्वयं पडौसी खातेदार के कब्जा काश्त है जिसके पडोसी खातेदार भागीरथ पुत्र फगलुरासम जाति विश्नोई कब्जा काश्त के साथ मोबाईल टावर भी बना है। शेष भूमि समस्त सेढ़ा पड़ोसियों के कब्जा काश्त में हैं पर मौके पर भूमि खाली हैं। मौके पर वादी व आर. आई व हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादीगण को समझाईश की गई कि उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त हटाने को कहने पर प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा हटाने के लिए [illegible] दिया, तब आर.आई. द्वारा उक्त कब्जा हटाने के लिए वादीगण के समक्ष [illegible] मौका फर्द बनाई गई। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, मौका की प्रमाणित नकल संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

(3)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

हैं। अतः अतिक्रमण हटाने हेतु बेदखली का दावा एतदर्थ पेश है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि आयी हुई है, जिसमें वादीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त हैं, जिसमें वादीगण की ढाणी बनी हुई है तथा प्रतिवादीगण जबरन व अवैध तरीके से कब्जा करनें व ढाणी, माठ को तोड–फोड़ करने की फिराक में रहते हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण नें एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा हर समय उपर्युक्त कृत्य करने में भरपूर यत्न करते रहते है तथा वादीगण को काश्त करनें में भारी विघ्न इत्यादि डालते रहते है। वादीगण को ऐलानियां धमकियां भी देते हैं कि आपको जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा करेगें, निर्माण करेंगें। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण ने हैरान परेशान कर रखा है। इस संबंध में वादीगण ने कई बार गांव के पंच–मुख्यान से पंच–पंचायती भी करवाई, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी बेजां हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वादग्रस्त भूमि को अवैध एवं विधिविरूद्ध तरीके से वादीगण के खेत बंट को जबरन हड़प करना चाहते हैं तथा बेदखल कर कब्जा कर वादीगण के बंट, हिस्से, कब्जे में प्रवेश करना चाहते है तथा जबरन पक्का निर्माण करना चाहते है जिन्हें रोकनें हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न लिखित अनुतोष वादीगण को दिलाये जावें–1. सरहद मौजा रिड़मलनगर, पीपलीबेरी, पटवार हल्का बामड़ला, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़व जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नंबर 312 रकबा 5–6575 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 654/522 रकबा 11–4364 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण को बंट, हिस्से में, उपयोग में, ढाणी में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश न करें, न ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी/अवरोध पैदा करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। उपर्युक्त कृत्य प्रतिवादीगण न तो स्वयं करें, न ही किसी एजेंट, प्रतिनिधि से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:50 IST
Reason: SelfAttested

...गण के खातेदारी, कब्जाकाश्त खेत के कुछ भाग पर (संलग्न मौका फर्द) क.सं./भू.अ. /2025/837 दिनांक 18.06.2025 तहसीलदार सेड़वा द्वारा तैयार की गई, के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा जबरन प्रवेश कर उक्त अतिक्रमण अपने स्वयं के खर्चे से हटाकर खाली कर दें तथा उक्त अराजी में आगे से आगे प्रतिवादीगण अतिक्रमण, कब्जा या निर्माण नहीं करें व न ही करावें की डिक्री जारी फरमावें।"

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी कोई उप. नही हुआ, अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वादीगण वकील ने वादी साक्ष्य में PW-1 मांगीलाल पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई निवासी रिडमलनगर पीपलीबेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, PW-2 पोकरराम पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी रिड़मलनगर पीपलीबेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए जिसे शामिल पावली किया गया। वादी वकील की ओर से लिखित दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01(ई.एक्स.पी.01) जमाबंदी(खेवट/खतोनी)(प्रतिलिपि) अंतिम चौसला आधार संवत 2073–2076 जमाबंदी 2078(वर्ष 2022) से स्थायी मौजा रिड़मलनगर पीपलीबेरी, पटवार हल्का बाममड़ला, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के खाता संख्या नया 17 के खसरा संख्या 312 रकबा 5–6575 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 654/522 रकबा 11–4364 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, प्रदर्श 02 (ई.एक्स.पी.02) नेखमबंदी मौका फर्द मौजा रिड़मलनगर पीपलीबेरी, पटवार हल्का बाममड़ला, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के खाता संख्या नया 17 के खसरा संख्या 312 रकबा 5–6575 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 654/522 रकबा 11–4364 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाए।

वकील वादीगण उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उन पर वादीगण वकील की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा ... चिंतन–मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183,188 रा.का.अधि. 1955 आंशिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...र योग्य है। अस्तु, वादीगण का वाद आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा रिड़मलनगर पीपलीबेरी, पटवार हल्का बाममड़ला, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के खाता संख्या नया 17 के खसरा संख्या 654/522 रकबा 11–4364 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 312 रकबा 5–6575 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अवैधानिक रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादीगण को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोट(प्रदर्श 02) दिनांक 18.06.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को खुले न्यायालय/सरे इजलास में सुनाया गया।

(6)

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:50 IST
Reason: SelfAttested